न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी **अन्तर सिंह नेहरा**
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
50/रेफरेंस/12	11.10.2012	15.06.2020

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, इन्द्रगढ (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

1. कल्याण पुत्र अमरा जाति गूजर,
   निवासी ग्राम बड़गांव, तहसील इन्द्रगढ
2. बैंक ऑफ बडौदा, शाखा लाखेरी

— अप्रार्थीगण

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र तहसीलदार इन्द्रगढ ने अन्तर्गत धारा 82(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थी सं.1 की खातेदारी की भूमि ग्राम बडगांव, तहसील इन्द्रगढ के खसरा संख्या 128 रकबा 0.81 हैक्टेयर को कब्जे राज लेकर भू प्रबन्ध से पूर्व की किस्म **नाला** राजस्व रेकार्ड में अंकित कराने तथा अप्रार्थी के नाम की अवैध प्रविष्ठी को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब जर्ये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने के कारण दिनांक 18.12.12 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी।

न्यायालय जिला कलेक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित भूमि (पुराने खसरा संख्या 19 मिन रकबा 5 बीघा 06 बिस्वा) की किस्म 1947 से पूर्व नाला दर्ज रेकार्ड थी एवं यह भूमि सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के विपरीत बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा यह भूमि अवैध रूप से अप्रार्थी सं.1 के खाते दर्ज कर दी गयी। अप्रार्थी को विवादित भूमि पर कानूनी रूप से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित भूमि को पूर्वानुसार नाला राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबन्दी संवत् 2001 से 2004, मिलान क्षैत्रफल 2022 से 2041 एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का से यह प्रकट है कि ग्राम बड़गांव की विवादित भूमि के पुराने खसरा संख्या **19 मिन** थे तथा वर्ष 1947 से पूर्व इस भूमि की किस्म **नाला** अंकित थी एवं यह भूमि राजकीय भूमि थी। भू प्रबन्ध विभाग के मिलान क्षेत्रफल के अनुसार उक्त खसरा संख्या 19 मिन के नये खसरा संख्या 83 बने तथा खसरा संख्या 83 रकबा 5 बीघा 06 बिस्वा के नये खसरा संख्या 128 रकबा 0.81 हैक्टेयर बने। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा यह भूमि अप्रार्थी के खाते दर्ज कर दी गयी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 16 के अनुसार नियम विरूद्व है। माननीय उच्च न्यायालय ने डी.बी.सिविल जनहित याचिका सं.1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी गै.मु. भूमि पर खातेदारी दिया जाना गलत माना है तथा राजस्व मण्डल अजमेर के पत्र संख्या 9213–9244 दिनांक 13.11.2007 में भी ऐसी भूमियों की खातेदारी निरस्त करने के निर्देश हैं। परिणामस्वरूप यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर ग्राम बड़गांव में विस्थित भूमि खसरा संख्या 128 रकबा 0.81 हैक्टेयर पर अप्रार्थी सं.1 को दी गयी खातेदारी निरस्त कर भूमि पूर्ववत राजकीय सिवायचक किस्म **"नाला"** दर्ज करने हेतु रेफरेन्स प्रकरण राजस्व मण्डल, अजमेर को भिजवाया जाता है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भिजवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 15.06.2020को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/6/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलेक्टर बून्दी

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बून्दी (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Antar Singh Nehra
Date: 2020.06.17 11:14:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: